एसआईआर में लापरवाह अफसरों पर भी कार्रवाई के प्रस्ताव भेजें

चार अधिकारियों का एक-एक माह का वेतन कटेगा

नवभारत न्यूज

खण्डवा। कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने जिले के सभी एसडीएम को निर्वाचन कार्य में कड़कता बरतने के लिए कहा। निर्वाचक नामावली के गहन पुनरीक्षण अभियान सम्बंधी सभी कार्य समय सीमा में पूर्ण करें। उन्होंने निर्वाचन सम्बंधी कार्य लापरवाही पूर्वक करने वाले बूथ लेवल अधिकारियों और सेक्टर अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करने के निर्देश भी दिए। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में उपस्थित सभी एसडीएम और तहसीलदारों को निर्देश दिए कि गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की लगातार मॉनिटरिंग करें।

ऐसे हार्वेस्टर नहीं घुस पाएंगे- कलेक्टर ने कृषि विभाग के अधिकारियों से कहा कि किसानों को कस्टम हायरिंग सेंटर्स के माध्यम से उचित दर पर उन्नत कृषि यंत्र किराए पर उपलब्ध कराएं। उन्होंने बैठक में निर्देश दिए कि नरवाई प्रबंधन के लिए अभी से प्रयास करें। गेहूं फसल की कटाई के लिए किसी भी हार्वेस्टर को बिना स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम के जिले में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।

पंचायतें बकाया पानी का टैक्स वसूलें - बैठक में कलेक्टर ने मिशन अमृत संचय अभियान की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारी कर्मचारी के घरों में एवं शासकीय कार्यालयों में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के संबंध में भी सख्त हिदायत दी। कलेक्टर ने ग्राम पंचायतों में जलकर वसूली बढ़ाने तथा सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के त्वरित निराकरण के सम्बंध में भी अधिकारियों को निर्देशित किया।

निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने वाले 4 सेक्टर अधिकारियों का 1-1 माह का वेतन काटने के आदेश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋषव गुप्ता ने जारी किये हैं। जिन अधिकारियों का 1-1 माह का वेतन काटा जाएगा, उनमें मांधाता विधानसभा क्षेत्र के इनपुन क्षेत्र के सेक्टर अधिकारी व सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी विष्णु बिरला, हरसूद विधानसभा क्षेत्र के जूनापानी क्षेत्र के सेक्टर अधिकारी एवं सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी विनय कुमार किरकेट्टा, खण्डवा विधानसभा क्षेत्र के सूरजकुंड वार्ड के सेक्टर अधिकारी एवं उपयंत्री आर.ई.एस. कुमारी कल्पना कोल्हे तथा पंधाना विधानसभा क्षेत्र के दुगवाड़ा क्षेत्र के सेक्टर अधिकारी एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजीव मिश्रा शामिल हैं।

राज्य सरकार और डीएमई को नोटिस

▸ **प्रदेश के मूल निवासी छात्रों के साथ किया भेदभाव**

जबलपुर, 01 दिसंबर. मेडिकल नीट पीजी में 100 प्रतिशत आरक्षण को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. याचिका में कहा गया था कि नियमों में संशोधन कर मूल निवासी शब्द को विलोपित कर दिया गया है. जिसके कारण उन छात्रों के साथ भेदभाव हो रहा है, जिन्होंने एमबीबीएस कोर्स दूसरे प्रदेश से किया है और मध्य प्रदेश से पीजी कोर्स करना चाहते है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा तथा जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार व डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

बालाघाट निवासी डॉ विवेक जैन तथा रतलाम निवासी डॉ दक्ष गोयल की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि सरकार के द्वारा मेडिकल नीट पीजी में 100 प्रतिशत आरक्षित किये जाने को चुनौती दी गयी थी. याचिका में कहा गया था कि मध्य प्रदेश के 15 मेडिकल कॉलेज में 1468 पीजी की सीट है. जिसमें से 50 प्रतिशत सीट ऑल इंडिया कोटे के लिए आरक्षित है. प्रदेश कोटे की 50 प्रतिशत सीट में ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कोटा दिया जाता है. जिसके बाद सामान्य वर्ग के लिए 518 सीट बचती है.

> पीजी काउंसलिंग के पहले तथा दूसरे दौर में सिर्फ मध्य प्रदेश से एमबीबीएस करने वाले छात्र ही शामिल हो सकते है. जो छात्र पहले व दूसरे दौर में शामिल नहीं हुआ वह माप-अप दौर में शामिल नहीं हो सकते है. जिससे स्वचालित रूप से प्रदेश में अध्ययन करने वाले छात्रों को 100 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जा रहा है. देश के कई प्रदेशों में प्रदेश में अध्ययन करने वाले छात्रों को नहीं बल्कि मूल निवासी छात्रों को पीजी नीट दाखिले में प्राथमिकता दी जाती है, चाहे उन्होंने एमबीबीएस कोर्स किसी अन्य प्रदेश से किया हो. अधिवक्ता आदित्य संघी ने कहा कि प्रदेश कोटे की सीट में मूल निवासी छात्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये.

एक नजर में

कांग्रेस वोट का अधिकार दिलाने कटिबद्ध

ग्वालियर, 1 दिसंबर . मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के कार्य को गति प्रदान करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने बूथ स्तर पर सक्रियता बढ़ाने का संकल्प लिया है. जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुरेन्द्र यादव के नेतृत्व में 15 ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड क्र. 3, वार्ड क्र. 13 एवं 14, विनय नगर सेक्टर न. 4 में आयोजित महत्वपूर्ण बैठकों में मतदाता सूची के शुद्धिकरण, मतदाताओं को फॉर्म भरने में आ रही परेशानियों को दूर करने तथा पोलिंग बूथों पर किए जा रहे कार्यों की गहन समीक्षा की गई. इन बैठकों में जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुरेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही लोकतंत्र की प्रहरी रही है. एसआईआर अभियान के माध्यम से हम न केवल मतदाता सूची को शुद्ध कर रहे हैं, बल्कि हर नागरिक को वोट का अधिकार दिलाने के लिए घर-घर पहुंच रहे हैं. ये बैठकें हमारे कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा प्रदान करेंगी. हमारा संकल्प है कि जिले में कोई भी वोटर छूटे नहीं, और कांग्रेस की मेहनत से आगामी चुनावों में जनता का विश्वास और मजबूत होगा. इन बैठकों में कांग्रेस जनों को नागरिकों के सही फॉर्म भरवाने व जमा कराने के साथ घर-घर जनसंपर्क तथा मौहल्ला-गलियों में दरवाजा-दरवाजा अभियान चलाने के निर्देश दिए गए. ताकि हर मतदाता का अधिकार सुरक्षित हो और लोकतंत्र की मजबूती सुनिश्चित की जा सके. बैठकों में मप्र कांग्रेस कमेटी के महासचिव सुनील शर्मा, पार्षद विनोद यादव माटू, ब्लॉक अध्यक्ष मुनेन्द्र भदोरिया, उपेन्द्र सिंह राजपूत पिंटू, सोनू भदौरिया, डॉ. एन.के. सिसोदिया, अनिल शर्मा, सोहिल खान आदि साथ थे.

शाहपुरा में ग्रामीणों ने श्रमदान कर बनाया बोरी बंधान

खण्डवा। कलेक्टर ऋषव गुप्ता के निर्देशन में बहते पानी को रोकने के लिए 'मिशन अमृत संचय' अभियान के तहत गांव-गांव में बोरी बंधान संरचनाए बनाई जा रही हैं। इसी क्रम में शनिवार को विकासखंड पंधाना की ग्राम पंचायत शाहपुरा में जन अभियान परिषद द्वारा कुदालदा नाले पर बोरी बंधान बनाया गया। यह कार्यक्रम नवांकुर संस्था सार्थक एजुकेशन सोशल वेलफेयर सोसाइटी पोखरखुर्द एवं ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति के सहयोग से आयोजित किया गया। जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक जगदीश पटेल ने बताया कि हम जनसहयोग से जल का संचय और जल स्रोतों के रख रखाव का कार्य किया जा रहा है। मिशन अमृत संचय अभियान के तहत गांव-गांव में बोरी बंधान संरचनाए बनाई जा रही है। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत शाहपुरा के ग्राम रोजगार सहायक मुकेश पटेल, सी एम सी एल डी पी पाठ्यक्रम के बीएसडब्ल्यू एवं एमएसडब्ल्यू के छात्रों एवं स्थानीय ग्रामीणजनों ने श्रमदान किया।

अवैध हथियारों का मुख्य खरीददार गिरफ्तार

▸ **दो माह से पुलिस कर रही थी फरार आरोपी की तलाश**

खरगोन, 1 दिसंबर. जिले में बने अवैध हथियारों को तस्करों के माध्यम से खरीदने वाले मुख्य सरगना तक पुलिस ने पहुंचने में हासिल की है.

थाना बेड़िया पुलिस ने दो माह पहले जाकिर अली निवासी सारंगपुर जिला राजगढ़ को 15 नग देशी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया था. पूछताछ में आरोपी जाकिर ने बताया था, कि उसे सुरेन्द्र निवासी बिजीपुरा नवाखेडा सारंगपुर जिला राजगढ ने हथियार खरीदने भेजा था. इस पर पुलिस ने मुख्य खरीददार सुरेन्द्र की

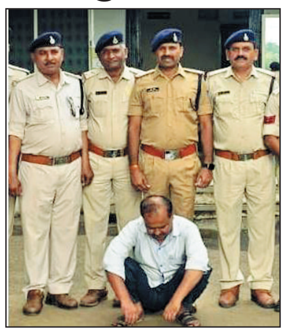

गिरफ्तारी के लिए 5000 रुपये का ईनाम घोषित किया था. इस ईनामी आरोपी को पुलिस ने दो माह बाद गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया है. पुलिस से मिली जानकारी अनुसार 21.सितंबर को जाकिर अली निवासी सारंगपुर जिला राजगढ़ को पुलिस ने 15 नग देशी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया था. विवेचना के दौरान आए तथ्यों के अनुसार जानकारी लगी थी कि उक्त अवैध हथियारों को सुरेंद्र नाम के व्यक्ति के कहने पर खरीदा गया था.

इस मामले में सुरेंद्र को भी आरोपी बनाया गया था. पुलिस रिकार्ड खंगालने पर सुरेंद्र के पूर्व से 09 के मामले पंजीबद्ध होना पाया गए थे. सुरेंद्र शातिर प्रवृत्ति के होकर अपने रहने के ठिकाने बार-बार बदल रहा था. पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी, परिणामस्वरूप दो माह से फरार चल रहा सुरेंद्र पिता माधवसिंह जाति सोंधिया निवासी बिजीपुरा नवाखेडा तह.सारंगपुर जिला राजगढ़ पुलिस के हत्थे चढ़ गया.

सिंधिया गोल्ड कप हॉकी : अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों का रोमांच आज से

ग्वालियर . खेल नगरी ग्वालियर एक बार फिर से रोमांच, जज्बे और शानदार हॉकी खेल का साक्षी बनने जा रही है. 2 से 10 दिसंबर तक रेलवे हॉकी स्टेडियम, तानसेन रोड पर आयोजित 84वीं अखिल भारतीय सिंधिया स्वर्ण कप हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ 2 दिसंबर मंगलवार को प्रात: 11 बजे किया जायेगा.

आध्यात्मिक संवाद में वक्ताओं के विचार

मंदसौर। आध्यात्मिक चेतना अभियान द्वारा आध्यात्मिक संवाद का आयोजन किया गया। प्रमुख वक्ता प्रकाश रातड़िया ने कहा कि सेवा प्रतिफल रहित होती है। उससे स्वांत: सुखाय आनंद प्राप्त होता है। सेवा सर्वोपरि सद्गुण है। दुखी पीड़ित और संकटग्रस्त व्यक्ति को मदद करना सेवा है। यश, कीर्ति और सराहना की अभिलाषा से सेवा का मूल तत्व विलोपित हो जाता है। शारीरिक सेवा, ज्ञान, प्रसाद और सहानुभूति और पूर्ण संवाद भी सेवा है। जब रोजगार का कार्य सेवा के लिये जीवित रहने के लिए पारिश्रमिक द्वारा की जाती है वह ही सेवा है। उसमें धन अर्जन का लक्ष्य नहीं होता बल्कि केवल राहत पहुंचाना पूर्णय बना देने से सेवा को पूर्णता मिलती है। वरिष्ठ सलाहकार गोपाल बैरागी ने कहा कि प्रत्येक पल का सदुपयोग जरूरी है.

हाईकोर्ट में प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजों के मामले की सुनवाई टली

▸ **नियमित बेंच में इसी सप्ताह होगी सुनवाई**

जबलपुर, 1 दिसंबर. मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक रूसिया व जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ के समक्ष प्राइवेट नर्सिंग कालेज आल इंडिया एसोसिएशन के मामले में सोमवार को सुनवाई टल गई.

युगलपीठ ने उक्त मामले की सुनवाई नियमित बेंच में किये जाने के निर्देश दिये है. संभवत: इसी सप्ताह उक्त मामले में सुनवाई हो. दरअसल दायर मामले में आरोप है कि गलत तथ्य पेश कर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट से अपने पक्ष में फैसला करा लिया है. ऐसे छात्रों को भी जीएनएम की विशेष परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी गई है, जो सीबीआई की जांच में अनसुटेबल पाए गए हैं. इस आदेश को वापस लिया जाए. याचिकाकर्ता एसोसिएशन ने याचिका में कहा कि पूर्व में कुछ छात्रों की ओर से याचिका दायर में कहा कॉलेज के निरीक्षण में उन कॉलेजों को क्लीन चिट भी मिल गई है. इसके बावजूद उन्हें जीएनएम की विशेष परीक्षा में शामिल नहीं किया जा रहा है. इस पर न्यायालय ने उक्त छात्रों को विशेष परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी थी. याचिका में कहा गया कि उक्त मामले में राज्य नर्सिंग काउंसिल की ओर से कोई आपत्ति नहीं जताई गई और न ही यह बताया कि इन छात्रों में सीबीआई की जांच में अनसुटेबल पाए गए. कालेजों के छात्र भी शामिल हैं. इसके चलते अनसुटेबल कालेजों के छात्रों को भी विशेष परीक्षा में बैठने की अनुमति मिल गई.

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्व में केपिटल फर्स्ट लिमिटेड तथा आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के संग एकीकृत)

IDFC FIRST Bank

(CIN-L65110TN2014PLC097792)

रजिस्टर्ड ऑफिस : केआरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031

फोन : +91 44 4564 4000, फैक्स : +91 44 4564 4022

परिशिष्ट IV [नियम 8(1)] कब्जे का नोटिस

(अचल संपत्ति के लिए)

चूंकि, अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13(12) के साथ पठित नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 30.03.2024 को एक मांग सूचना जारी कर उधारकर्ता, सह-उधारकर्ताओं और जमानतदारों 1. नानालाल गायरी, 2. लीला बाई गायरी से, सूचना में उल्लिखित राशि रु. 3,76,077.41/- (रुपये तीन लाख छिहत्तर हजार सतहत्तर और इकतालीस पैसे मात्र) को चुकाने का आह्वान करते हैं. उक्त माँग सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर 28.03.2024 तक जमा करना होगा. ऋणकर्ताओं द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने के कारण, ऋणकर्ता एवं सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित, नीचे वर्णित संपत्ति का भौतिक कब्जा आज 28 नवंबर 2025 को ले लिया है. ऋणकर्ताओं एवं सर्वसाधारण को एतद् द्वारा इस संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित किसी भी लेन-देन पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित) द्वारा रु. 3,76,077.41/- (रु. तीन लाख छिहत्तर हजार सतहत्तर और इकतालीस पैसे मात्र) की राशि और उस पर ब्याज का भार वहन किया जाएगा. उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो सुरक्षित परिसंपत्तियों के मोचन हेतु उपलब्ध समय के संबंध में हैं.

बंधक संपत्ति का विवरण

पीएच नंबर 13 (पुराना पीएच नंबर 26) का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल, जिसका क्षेत्रफल 630 वर्ग फुट है, ग्राम आबादी खसरा संख्या 460, वार्ड संख्या 12, ग्राम शेरपुर खुर्द, तह.आलोट, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश-457114, और जिसकी सीमा इस प्रकार है- पूर्व- हेमराज का मकान, पश्चिम- सरकारी भूमि, उत्तर- मुख्य सड़क, सामान्य सड़क, दक्षिण- मुख्य सड़क.

दिनांक : 28-11-2025 — **प्राधिकृत अधिकारी**

स्थान : मध्य प्रदेश — **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड**

ऋण खाता संख्या : 38739037 — **(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और अब आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में समामेलित)**

एसआईआर में सीधी जिला 9वें स्थान पर

▸ **जिले के सभी विधानसभाओं में हुआ शत-प्रतिशत कार्य**

सीधी 1 दिसम्बर. भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल के दिशा-निर्देशों के परिपालन में विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के तहत जिले में मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने का कार्य निरंतर संचालित रहा.

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्वरोचिष सोमवंशी के निर्देशन में उपखण्ड अधिकारी एवं निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के नियंत्रण में विधानसभा क्षेत्र 76 चुरहट, 77 सीधी, 78 सिहावल एवं 82 धौहनी (अजजा) में मतदाताओं के गणना पत्रकों का सत्यापन कर बीएलओ ऐप के माध्यम से डिजिटाइजेशन किया गया. गणना पत्रक फीडिंग की अंतिम तिथि पूर्व में 4 दिसम्बर 2025 निर्धारित थी, जिसे बढ़ाकर 11 दिसम्बर 2025 किया गया है. इसके बावजूद जिले की सतत निगरानी, टीम वर्क और समन्वित प्रयासों के परिणामस्वरूप 1 दिसम्बर 2025 को ही चारों विधानसभा क्षेत्रों-76 चुरहट, 77 सीधी, 78 सिहावल तथा 82 धौहनी (अजजा)-ने 100 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया, जिससे सीधी जिला प्रदेश में 9वें स्थान पर रहा है. इस उत्कृष्ट उपलब्धि में अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी बी.पी.पाण्डेय, निर्वाचक मास्टर ट्रेनरों का महत्वपूर्ण योगदान रहा.

> बीएलओ ने रीढ़ की हड्डी की भांति समन्वय और समर्पण प्रदर्शित करते हुए गणना पत्रक फीडिंग का कार्य अत्यंत सुचारु एवं समयबद्ध तरीके से सफलतापूर्वक पूर्ण किया. साथ ही राजनीतिक दलों के बीएलए एवं मतदाताओं का सहयोग भी विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्वरोचिष सोमवंशी ने जिले की इस उपलब्धि पर संपूर्ण टीम को बधाई देते हुए कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के तहत किया गया यह शत-प्रतिशत कार्य जिले की टीम भावना, अनुशासन, प्रतिबद्धता और प्रशासनिक दक्षता का उत्कृष्ट उदाहरण है.

6 करोड़ गबन के मामले में एक गिरफ्तार

रीवा. विश्वविद्यालय थाना अन्तर्गत श्रीजी इन्फास्ट्रक्चर इंडिया प्राईवेट लिमिटेड रीवा से धोखाधड़ी कर 6 करोड़ का गबन करने वाले 1 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. पूंछताछ के बाद न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया गया है. मुख्य आरोपी सहित अन्य की तलाश की जा रही है. आरोपियों ने श्रीजी इन्फास्ट्रक्चर इंडिया प्राईवेट लिमिटेड जिला रीवा के खाता से वर्ष 2018 से वर्ष 2025 के मध्य अतुल पाठक द्वारा कम्पनी के डायरेक्टर संजय सिंह के फर्जी हस्ताक्षर कर अतिरिक्त चेक बुक इशू कराकर डायरेक्टर संजय सिंह के फर्जी हस्ताक्षर कर स्वयं व अन्य रिश्तेदारों के पृथक-पृथक खातों में फर्जी ट्रांजेक्शन कर सदोष लाभ प्राप्त किया गया है. जो कंपनी को आरोपीगणो द्वारा करीबन 6,09,45,007/- रुपये का आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया के शिकायत की जांच उपरान्त अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया. तलास दौरान आरोपी काशी प्रसाद पाठक दस्तयाब हुआ जिससे खाता में 30 लाख रुपये ट्रान्जेक्शन होना पाया गया.

मदनी के विवादित बयान पर बजरंग दल ने की एफआईआर की मांग

गुना. मौलाना महमूद अरशद मदनी के विवादित भाषण के खिलाफ बजरंग दल ने सिटी कोतवाली पहुचंकर आवेदन सौंपकर एफआईआर की मांग की. बजरंग दल ने थाना प्रभारी को दिए आवेदन में आरोप लगाया कि 29 नवंबर को भोपाल में दिए गए मौलाना के भाषण में सांप्रदायिक तनाव फैलाने, भारत की न्यायिक व्यवस्था पर हमला करने और सशस्त्र संघर्ष के लिए उकसाने जैसे अत्यंत गंभीर तत्व मौजूद हैं, जो भारतीय न्याय संहिता 2023 की कई धाराओं में दंडनीय अपराध हैं. जिला संयोजक ब्रजेश प्रजापति ने कहा मौलाना ने ऐसे बयान विरोध को बढ़ावा देना प्रतीत होता है.

अमरीका और भारत के कामन इंट्रेस्ट है

▸ **संक्षिप्त प्रवास पर बुआ से मिलने पहुंचे मंडलेश्वर**

मंडलेश्वर, 1 दिसंबर. सादा जीवन उच्च विचार रखने वाले डॉ प्रमोद खरगोनकर अमरीका जैसे विकसित राष्ट्र में 1978 से बतौर प्रोफेसर एक लंबा और सफल जीवन जी रहे है.

1956 में शिक्षक माता पिता के घर इंदौर में जन्मे प्रमोद की प्रारंभिक शिक्षा कन्नौद के शासकीय स्कूल में हुई जहां उनके माता पिता शिक्षक थे मिडिल स्कूल की पढ़ाई जूनी इंदौर के शासकीय स्कूल में हुई हायर सेकंडरी वैष्णव स्कूल इंदौर से करने के बाद आई आई टी मुंबई से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में बी टेक किया उसके बाद मास्टर्स डिग्री अमेरिका की यूनिवर्सिटी

ऑफ फ्लोरिडा से करने के बाद वहीं से पी एच डी की और फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में ही असिस्टेंट प्रोफेसर बने.

राष्ट्रपति बराक ओबामा के लिए किया कार्य: जब बराक ओबामा अमरीका के राष्ट्रपति बने तब डॉ प्रमोद खरगोनकर नेशनल साइंस फाउंडेशन से जुड़े जो अमरीका में रिसर्च करने वालो के लिए आर्थिक मदद देता है. बतौर इंजीनियरिंग डायरेक्टर इस फाउंडेशन के माध्यम से बराक ओबामा के लिए काम करने का मौका मिला.बराक ओबामा के शासनकाल 2009 से 2017 तक भारत और अमरीका के सम्बन्ध बहुत अच्छे रहे यह कहा जा सकता है तब सोलर ऊर्जा और पब्लिक हेल्थ जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच बड़ी साझेदारी थी उस समय कई भारतीय डेलिगेशन अमरीका आए उनसे डॉ खरगोनकर ने मुलाकात की थी

मंडलेश्वर के जागीरदार परिवार से उनका रिश्ता है अमोल जागीरदार की बुआ आई डॉ प्रमोद खरगोनकर की भी बुआ है जो एक सेवानिवृत्त शिक्षक है. 1962 में प्रकाश अपनी बुआ के पास एक साल पढ़े थे .तब उनकी बुआ बाल विद्या मंदिर महेश्वर में शिक्षक थी. बुआ के हाथ का दाल भात डॉ प्रकाश ने आज भी खाया .

JANA SMALL FINANCE BANK

(A Scheduled Commercial Bank)

रजिस्टर्ड आफिस :- फेयरवे, ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर, सर्वे नं. 10/1, 11/2 एंड 12/2 बी, ऑफ डोमलुर, कोरामंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के बगल में, चल्लाघट्टा, बंगलौर-560071,

ब्रांच आफिस :- प्लाट नं. 306-ए, पीयू-4, स्कीम नं. 54, कंट्री इन होटल के पास, मेन ए.बी. रोड, विजय नगर, इन्दौर-452010

सरफेसी एक्ट, 2002 की सेक्शन 13 (2) के तहत डिमांड नोटिस

जबकि आप, नीचे उल्लिखित उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता, गारंटर और बंधककर्ताओं ने अपनी अचल संपत्तियों को बंधक रखकर जन लघु वित्त बैंक लिमिटेड से ऋण लिया है. आप सभी द्वारा किए गए चूक के परिणामस्वरूप, आपके ऋण खाते को गैर निष्पादित संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि जन लघु वित्त बैंक लिमिटेड अधिनियम के तहत एक सुरक्षित ऋणदाता होने के नाते, और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 2 के साथ उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता / गारंटर / बंधककर्ताओं को कॉलम नंबर 2 में उल्लिखित राशि को नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर भविष्य के ब्याज के साथ चुकाने के लिए मांग नोटिस जारी किया, लेकिन विभिन्न कारणों से उनमें से कुछ को नोटिस नहीं दिया जा सका.

क्र.	देनदार/सह-देनदार/ बंधक का नाम	लोन एकाउंट नं. व लोन राशि	लागू की जाने वाली सुरक्षा का विवरण	एनपीए तिथि व डिमांड नोटिस तिथि	देय राशि रु./ अनुसार में
1.	1) श्री संजय पुत्र अमर सिंह 2) श्रीमती कृष्णा बाई पुत्री संजय	ऋण खाता संख्या- 32760440000129 48990430000166 ऋण राशि- रु. 5,50,000/-	**अचल संपत्ति-** मकान संख्या 01 वाली भूमि का वह पूरा टुकड़ा, जिसका क्षेत्रफल 1140 वर्ग फुट है, और उस पर निर्माण कार्य भी शामिल है, पीएच संख्या 32, ग्राम अंतरलिया में, ग्राम पंचायत अंतरलिया, जनपद पंचायत खाचरौद, तहसील नागदा और जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर स्थित है. पूर्व में- खाली जगह और हाकम सिंह का मकान, पश्चिम में- राजेश का मकान, उत्तर में- बालेश्वर का मकान और दक्षिण में- प्रधानमंत्री मार्ग.	01.11.2025 और 27-11-2025	17.11.2025 तक रु. 5,12,068.31 (रु. पांच लाख बारह हजार अड़सठ और पैसा इकतीस मात्र)
2.	1) श्री इमरान खां पुत्र मकसूद खां 2) श्री मकसूद खां पुत्र नूर खां 3) श्रीमती बिस्मिल्ला बी पत्नी मकसूद खां	ऋण खाता संख्या- 46500430000655 ऋण राशि- रु. 4,25,000/-	**अचल संपत्ति-** भूखंड/मकान संख्या 101 वाली भूमि का वह पूरा टुकड़ा, जिसका क्षेत्रफल 780 वर्ग फुट है, और उस पर निर्माण सहित, ग्राम चैनपुरा, पीएच संख्या 21, ग्राम पंचायत चैनपुरा, तहसील इछावर और जिला सीहोर (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर स्थित है. पूर्व में- साबिर खान का मकान, पश्चिम में- सड़क, उत्तर में- बाबू खान का मकान और दक्षिण में- कुदरत खान का मकान.	01.11.2025 और 27-11-2025	27.11.2025 तक रु. 4,55,329.50 (रु. चार लाख पचपन हजार तीन सौ उन्तीस और पैसा पचास मात्र)
3.	1) श्रीमती संतोष बाई पत्नी तेजू 2) श्री तेजू पुत्र भेरूलाल	ऋण खाता संख्या- 50629370000638 36410430000180 ऋण राशि- रु. 3,20,000/-	**अचल संपत्ति-** प्लॉट/मकान संख्या 133 वाली भूमि का वह पूरा टुकड़ा, कुल क्षेत्रफल 600 वर्ग फुट (55.76 वर्ग मीटर), निर्माण सहित सर्वेक्षण संख्या 163 का एक भाग, पीएच संख्या 50, ग्राम नांदियासी में स्थित, ग्राम पंचायत नांदियासी, जनपद पंचायत खाचरौद, तहसील खाचरौद और जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर. सीमा- पूर्व में- कॉमन रोड, पश्चिम में- अमृतलाल गोपाल उमराव सिंह का मकान, उत्तर में- कॉमन रोड और दक्षिण में- अमृतलाल गोपाल उमराव सिंह का मकान.	28.09.2025 और 27-11-2025	27.11.25 तक रु. 2,20,872.39 (रु. दो लाख बीस हजार आठ सौ बहत्तर और पैसा उन्चालीस मात्र)
4.	1) श्री धीरज पुत्र राकेश 2) श्रीमती काजल पत्नी धीरज 3) श्रीमती नीतू बाई पत्नी राकेश	ऋण खाता संख्या- 32760430000191 ऋण राशि- रु. 5,00,000/-	**अचल संपत्ति-** मकान/संपत्ति संख्या 97 वाली भूमि का वह पूरा टुकड़ा, कुल क्षेत्रफल 2240 वर्ग फुट (208.1028 वर्ग मीटर), निर्माण सहित , पीएच संख्या 92, वार्ड संख्या 04, ग्राम निपानिया राजू में स्थित, ग्राम पंचायत निपानिया राजू, जनपद पंचायत महिदपुर, तहसील जर्दा और जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर. सीमा- पूर्व में- सड़क, पश्चिम में- सड़क, उत्तर में- प्रकाश जी का घर और दक्षिण में- मदनलाल जी का घर.	01.11.2025 और 27-11-2025	17.11.2025 तक रु. 4,23,743.08 (रु. चार लाख तेईस हजार सात सौ तिरतालीस और पैसा आठ मात्र)
5.	1) श्री महेंद्र पुत्र पर्वत लाल 2) श्रीमती संजू बाई पत्नी महेंद्र	ऋण खाता संख्या- 45570440000108 ऋण राशि- रु. 4,18,000/-	**अचल संपत्ति-** भूखंड/मकान संख्या 61 वाली भूमि का वह पूरा टुकड़ा, जिसका कुल क्षेत्रफल 1224 वर्ग फुट (113.71 वर्ग मीटर) है, और उस पर निर्माण कार्य भी शामिल है. सर्वेक्षण संख्या 109, पी.एच. संख्या 88 का एक भाग, ग्राम बिजपड़ी में, ग्राम पंचायत बिजपड़ी, तहसील तराना और जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर स्थित है. पूर्व में- आम सड़क, पश्चिम में- दयारामजी का भूखंड, उत्तर में- जयराम जी का मकान और दक्षिण में- खाली जमीन और मेहरबान का मकान.	31.10.2025 और 27-11-2025	17.11.2025 तक रु. 3,90,751.37 (रु. तीन लाख नब्बे हजार सात सौ इक्यावन और पैसा सैंतीस मात्र)

इसलिए, कॉलम संख्या 2 में उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर और बंधककर्ता को नोटिस दिया जाता है, जिसमें उन्हें इस नोटिस के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर सभी संबंधित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता के विरुद्ध कॉलम संख्या 6 में दर्शाई गई कुल राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि उक्त राशि कॉलम संख्या 6 में दर्शाई गई तारीख को संबंधित ऋण खाते के संबंध में देय पाई जाती है. यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि भविष्य के ब्याज और अन्य राशियों के साथ कुल राशि, जो भुगतान की तारीख तक देय हो सकती है, का भुगतान नहीं किया जाता है, तो जन लघु वित्त बैंक लिमिटेड कॉलम संख्या 4 में वर्णित संपत्तियों पर सुरक्षा हित लागू करने के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा. कृपया ध्यान दें कि यह प्रकाशन ऐसे अधिकारों और उपायों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना किया गया है, जो कानून के तहत उक्त वित्तीय के उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ताओं के खिलाफ जन लघु वित्त बैंक लिमिटेड को उपलब्ध हैं, आपसे आगे यह ध्यान देने का अनुरोध किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आपको सुरक्षित ऋणदाता की पूर्व सहमति के बिना उपरोक्त सुरक्षा का निपटान या उससे निपटने या सुरक्षित परिसंपत्ति की बिक्री, पट्टे या अन्यथा हस्तांतरण करने से रोका/निषिद्ध किया गया है.

दिनांक- 2.12.2025, स्थान- इन्दौर — हस्ता. अधिकृत अधिकारी, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड